



2026:AHC-LKO:19205

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या - 2296 वर्ष 2026

अशोक शुक्ला

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह, लखनऊ एवं अन्य

....विरोधी पक्ष (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	अमोल कुमार श्रीवास्तव, शिवांशु मिश्रा
विरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-16

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अमोल कुमार श्रीवास्तव तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को भी सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया ।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. आवेदक ने यह आवेदन निम्नलिखित मुख्य प्रार्थना के साथ दाखिल किया है:

"... यह माननीय न्यायालय कृपया विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अष्टम, लखनऊ को यह निर्देश देने की कृपा करे कि वे दिनांक 22.05.2012 का गैर-जमानती वारंट, जो कि परिवाद वाद संख्या 142 वर्ष 2010, शीर्षक "अशोक कुमार अवस्थी बनाम प्रबंधक, मैग्मा फिनकोर्प लिमिटेड और अन्य", धारा 392, 420, 323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना-मड़ियाव, लखनऊ में पारित किया गया है, को दिनांक 29.11.2019 के उन्मोचन आवेदन के निस्तारण तक स्थगन में रखें, जो कि इस माननीय न्यायालय द्वारा 482 दं०प्र०सं० आवेदन संख्या 1575 वर्ष 2013, शीर्षक " अशोक शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य ", दिनांक 27.09.2019 में पारित आदेशों के अनुपालन में प्रस्तुत किया गया है, जो कि आवेदन के साथ संलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न है।"

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने परिवाद संख्या 142 वर्ष 2010, अशोक कुमार अवस्थी बनाम प्रबंधक, मैग्मा फिनकोर्प लिमिटेड एवं अन्य, जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, लखनऊ के न्यायालय में विचाराधीन है, की कार्यवाही तथा दिनांक 01.07.2011 के समन आदेश के साथ-साथ दिनांक 22.05.2012 के उस आदेश, जिसके द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, को आवेदन संख्या 1575 वर्ष 2013 में चुनौती दी थी। उक्त वाद का निस्तारण दिनांक 27.09.2019 के आदेश द्वारा निम्न उद्धृत टिप्पणियों के साथ किया गया था:

"3. कुछ समय तक बहस करने के उपरांत, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अधीन उन्मोचन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिस पर राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. तदनुसार, याचिकाकर्ता को आज से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा शीघ्रतापूर्वक, अधिमानतः आगामी पैंतालीस दिनों के भीतर, विचारित एवं निर्णयित किया जाएगा। याचिकाकर्ता को अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की भी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

5. उपर्युक्त साठ दिनों की अवधि की समाप्ति तक, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दबावात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

6. उपर्युक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, याचिका का निस्तारण किया जाता है।"

4. विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता कैंसर से पीड़ित है, अतः वह इसके लिए प्रदान की गई अवधि के भीतर उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका, तथापि उसने वह दिनांक 29.11.2019 को प्रस्तुत किया, जो कि निर्णयित नहीं किया गया है, अतः याचिकाकर्ता के उन्मोचन आवेदन का निर्णय करने हेतु निर्देश जारी किया जाए तथा तब तक आवेदक के विरुद्ध जारी गैर-जमानती वारंट के क्रियान्वयन पर स्थगन प्रदान किया जाए।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है। आवेदक विचारण न्यायालय की कार्यवाही से बच रहा है। यदि वह माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त समयावधि के भीतर उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका, तो कम से कम उसे समयावधि के विस्तार हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था, किन्तु उसने ऐसा नहीं किया।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत, यह स्पष्ट है कि पूर्व आवेदन संख्या 1575 वर्ष 2013 का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया गया था कि याचिकाकर्ता 15 दिनों के भीतर उन्मोचन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा 60 दिनों की अवधि के लिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दबावात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. यह भी उल्लेखनीय है कि संपूर्ण आदेश-पत्रक याचिकाकर्ता द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है तथा आदेश-पत्रक से यह संकेत मिलता है कि दिनांक 31.08.2021 को याचिकाकर्ता द्वारा उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत किया गया, अर्थात् दो वर्ष से अधिक की विलंबता के पश्चात्। यद्यपि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत किए जाने संबंधी मौखिक कथन स्वीकार भी कर लिया जाए, जबकि इस संबंध में शपथपत्र पर ऐसा कोई अभिकथन नहीं किया गया है, तब भी वह दिनांक 29.11.2019 को प्रस्तुत किया गया, जो कि न्यायालय के दिनांक 27.09.2019 के आदेश का पूर्णतः उल्लंघन है। आवेदक स्पष्ट रूप से अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही से बच रहा है और उसने उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु समयावधि के विस्तार के लिए आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया तथा उसने दिनांक 27.09.2019 के आदेश का उल्लंघन किया। यद्यपि उसके मौखिक निवेदन को स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन दिनांक 27.09.2019 के आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में कोई सार न पाए जाने के कारण यह आवेदन खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

17 मार्च, 2026

ए०निगम

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।